कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन (म0प्र0)

//नियुक्ति आदेश//

क्रमांक–557/दो–11–33/20 उज्जैन, दिनांक 01 जून, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणों के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 01.06.2024 में की गई अनुशंसा के आधार पर वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण के रूप में पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारीगण को नियमित चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) के पद पर वेतनमान रूपये 4440–7440 तथा ग्रेड–पे रूपये 1300/– पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें वेतनमान) में 15500–49000 (लेवल–1) में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करते हुए नियमितीकरण किया जाता है :–

क्र.	कर्मचारी का नाम/पता	जाति प्रवर्ग
1	2	3
1	श्री शेख अकील, पिता श्री शैक शफीक निवासी–वार्ड नं.–10 पठानी मोहल्ला, सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)–483225	सामान्य
2	श्री जनक बगोर पिता श्री उदयलाल, निवासी–142, शाहीन नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर (म.प्र.)–452001	सामान्य
3	श्री सत्यम सविता, पिता श्री अजमेर, निवासी–वार्ड नं.–2, गांधीपार्क, जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)–476221	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	श्री सुमित कुमार, पिता श्री उमेश शर्मा, निवासी–16/11, अलखनंदा नगर, उज्जैन (म.प्र.)	सामान्य
5	श्री शिवम् दुबे, पिता श्री संतोष दुबे, निवासी–सी.डब्ल्यू 48, सुखलिया, वार्ड–22, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010	सामान्य
6	श्री उर्विश शर्मा, पिता श्री गोवर्धन शर्मा, निवासी ग्राम देवली, पोस्ट जूठावाड, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)–456441	सामान्य
7	सुश्री संगीता छाबड़ी पिता श्री देवराम राठौर निवासी–15, संचार नगर मेन कनाड़िया रोड., इन्दौर (म.प्र.)–452016	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	सुश्री अंजिता कश्यप पिता श्री बद्रीप्रसाद प्रजापत निवासी–बेडमिंटन हॉल माधव क्लब के पीछे, रेलवे स्टेशन के पास उज्जैन (म.प्र.)–456101	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	श्री उदयसिंह कुशवाह पिता श्री जगदीश कुशवाह, निवासी–ए/4 पीली कोठी एमजी रोड़ इन्दौर (म.प्र.)–452016	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	श्री सचिन चौधरी पिता श्री रूपसिंह चौधरी, निवासी–330, सिंगावदा, जिला देवास (म.प्र.)–455001	अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	कर्मचारी का नाम/पता	जाति प्रवर्ग
11	श्री आकाश जावा पिता श्री हेमंत जावा, निवासी–सिविल लाईन महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)–456441	अनुसूचित जाति
12	श्री गोपाल मालवीय पिता श्री लक्ष्मण मालवीय, निवासी–ग्राम व पोस्ट – उज्जैनिया तहसील घटिया जिला उज्जैन (म.प्र.)–456550	अनुसूचित जाति
13	सुश्री मनोरमा पिता श्री मनोज, निवासी–45, विष्णुपुरा आई.सी.आई.सी.आई बैंक के पास जिला उज्जैन (म.प्र.)– 456010	अनुसूचित जाति

नोट :– संबंधित कर्मचारीगण का पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

:: नियुक्ति की सामान्य शर्ते ::

1. यह कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पदोन्नत/नियमित पद पर उपस्थित होकर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. यह कि वे बिना पूर्व अनुमति के आगे किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकेंगे और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. यह कि अभ्यर्थी का यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशान विभाग भोपाल के ज्ञापन कमांक एसी 3–15/2012/1/3 दिनांक 24.11.2022 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
4. यह कि उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण दर्शाये समाप्त की जा सकेगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह के वेतन तथा भत्तों का स्वत्व छोड़ना होगा अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करना होगी।
5. यह कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व उक्त कर्मचारीगण मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से स्वयं के व्यय पर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
6. यह कि सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य का प्रमाण प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. यह कि उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 लागू नहीं होंगे। साथ ही उन पर मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, भी लागू नहीं होंगे। राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
8. यह कि उक्त कर्मचारीगण को उपस्थित होने के पश्चात कार्यालय में नामांकन फार्म चार प्रति में एवं सेवापुस्तिका/सीपीएफ पासबुक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
9. यह कि उक्त कर्मचारीगण को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उन्हें उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य है और भविष्य में समय समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी मान्य होंगे। इन सभी लिखित शर्तो की स्वीकृति, जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो, प्राप्त होने पर ही नियमितीकरण आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

10. यह कि अभ्यर्थी पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निर्धारित **"म्र.प्र. राज्य अधीनस्थ न्यायालय सेवा एवं भर्ती नियम–2016"** की शर्तें लागू होगी।

11. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक फा.नं. 3–3/2000–3–1 दिनांक 10.03.200 के अनुसार दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान का जन्म न होने के संबंध में "म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 के नियम–22 (4) एवं नियम–22 (ए) का पालन करने के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो असत्य पाये जाने पर सेवाएं बिना सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

12. यह कि मध्यप्रदेश शासन/माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा समय समय पर जारी तथा प्रसारित नियम, आदेश तथा निर्देश लागू होंगे तथा मध्यमप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 तथा MP District Court Establishment (Recruitment and conditions of service) Rules, 2016 publish date 28-06-2019 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

//सही//
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

01 JUN 2024

पृष्ठा.क्रमांक–5669 /दो–11–33/20 उज्जैन, दिनांक......... जून, 2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुविभाग, उज्जैन/ बड़नगर/ महिदपुर/ खाचरौद/ नागदा/तराना
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन।
4. लेखापाल/ सहा.लेखापाल/बिल क्लर्क/कम्प्यूटर लिपिक/ श्रीमती शैली व्यास, सहायक ग्रेड–2, जिला न्यायालय उज्जैन।
5. श्री/सुश्री/श्रीमती ....

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)